रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL S. ... LIBRARY ... INDIA

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 2001 (चैत्र 3, 1923)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 2001 (CHAITRA 3, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधिनर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	281
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बंध में अधिसूचनाएं .	241
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	8
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	273
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	1257
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	193
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .	1975
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	47
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	281
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	241
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	273
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—Sub-section (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1257
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	193
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1875
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	47
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(ऊर्जा संबंधी समिति शाखा)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2001

सं० 6/1/1/ऊर्जा/2001—कुमारी भावना पडुलिकराव गवली का नाम निर्देशन दिनांक 2 मार्च, 2001 से वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति से बदलकर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति में कर दिया गया है।

पी० के० भंडारी,
उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 मार्च 2001

सं० 4/1/3/सी०ओ०डी०/2001—डा० अलादी पी० राजकुमार, संसद सदस्य, राज्य सभा को 5 मार्च, 2001 से विभागों से संबद्ध रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2001) का सदस्य मनोनीत किया गया है।

कृष्ण लाल,
निदेशक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 फरवरी 2001

सं०ए०-42011/28/2000-प्रशा०-II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उपधारा (1) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग में उप-निदेशक (तकनीकी) श्री आर० एन० सक्सैना को उक्त धारा 209-क के उद्देश्य हेतु प्राधिकृत करती है।

डी० पी० सैनी,
अवर सचिव

दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं० ए-42011/28/2000-प्रशा०-II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग में उक्त धारा 209-क के उद्देश्य के लिए श्री एम० आर० भट्ट उप निदेशक (निरीक्षण) को प्राधिकृत करती है।

डी० पी० सैनी
अवर सचिव

सं० ए-42011/28/2000-प्रशा०-II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग में उक्त धारा 209 क के उद्देश्य के लिए श्री आर० एस० सारस्वत, उप निदेशक (निरीक्षण) को प्राधिकृत करती है।

डी० पी० सैनी,
अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2001

संकल्प

सं० एफ० 5 (1)-पी० डी०/2001—सामान्य सूचना हेतु यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2001-2002 के दौरान सामान्य भविष्य निधि और ऐसी अन्य निधियों के अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर 9.5 (साढ़े नौ) प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज मिलता रहेगा। यह दर पहली अप्रैल, 2001 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।

9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि ।

10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि ।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आलोक चतुर्वेदी
निदेशक (बजट)

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2001

संकल्प

सं० ई० 11015(10)/99—हिन्दी—इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने इस्पात मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है । पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे :—

I. गठन

1. इस्पात मंत्री — अध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य

2. श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह — सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)
12 ए, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली

3. श्रीमती कृष्णा बोस — —वही—
संसद सदस्य (लोक सभा)
डी—1, एम०एस० फ्लैट, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली

4. श्री जनेश्वर मिश्र, सांसद (राज्य सभा) — —वही—

5. श्री सोहन पोटाई, सांसद (लोक सभा) — —वही—

6. श्री पदमनाभ देहरा, सांसद (लोक सभा) — —वही—

7. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद सदस्य (राज्य सभा) का सदस्य नामित किया जाना है । — —वही—

8. श्री गोपाल कृष्ण फरलिया — —वही—
(केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि)

9. राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा का प्रतिनिधि — —वही—

10. पंडित प्रबोध कुमार मिश्रा — —वही—

11. श्री अवधेष प्रसाद सिंह — —वही—
दामोदरपुर (उत्तरी टोला)
पी० ओ० एण्ड पी० एस० सराय
जिला वैशाली (बिहार) 844125

12. प्रो० नगेन्द्र राउत — सदस्य
गांव+डॉ० सुरसंड
जिला सीतामढ़ी (बिहार)

13. डॉ० पी० प्रेम लीला — —वही—
एफ-2, सी० सैल अपार्टमेन्ट,
गवर्नर के बंगले के समीप, सिरीपुरम,
विशाखापत्तनम-530002 (आन्ध्र प्रदेश)

14. डॉ० सैयद रहमतुल्ला, — —वही—
1, जे० जे० खान स्ट्रीट,
रोयापेट्टा, चेन्नई-600014

15. श्री श्रवणकुमार गोस्वामी, — —वही—
"आश्रय" नई नगडा टोली,
चौथी गली, रांची,
झारखण्ड-834001

16. डॉ० एस० एम० रामचन्द्रस्वामी — —वही—
'शारदा विहार'
89/02, ईस्ट अंजनेया टेम्पल स्ट्रीट,
बसवनगुडी, बेंगलूर-560004

सरकारी सदस्य

17. सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय — —वही—

18. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय — —वही—

19. सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) — —वही—

20. राजभाषा विभाग का एक अन्य प्रतिनिधि — —वही—

21. विक्रय आयुक्त, लोहा और इस्पात, कलकत्ता — —वही—

22. अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली — —वही—

23. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक — —वही—
एन० एम० डी० सी०, हैदराबाद

24. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, — —वही—
मेकॉन लिमिटेड, रांची (बिहार)

25. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, — —वही—
भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो

26. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, — —वही—
मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर

27. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, — —वही—
कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लिमिटेड, बंगलोर

28. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, — —वही—
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,
(विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र)
विशाखापट्टणम

29	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एम० एस० टी० सी०, कलकत्ता	सदस्य
30	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता	—वही—
31.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एपज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद	—वही—
32	प्रबन्ध निदेशक, फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई	—वही—
33.	संयुक्त सचिव (राजभाषा के प्रभारी), इस्पात मंत्रालय	सदस्य सचिव

II. कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा ।

III. कार्य अवधि

1 समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यत: 3 वर्ष का होगा ।

2 समिति के कार्य-काल के दौरान यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा ।

3 विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्य-काल कम या ज्यादा किया जा सकता है ।

4. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।

5. समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करत रहने पर समिति के सदस्य होंगे ।

IV. यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं०-II/20034/4/86-रा०भा० (क-2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ध्रुव विजय सिंह,
संयुक्त सचिव

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2001

संकल्प

सं० ई० 11014/6/98—हिन्दी : इस विभाग के दिनांक 1-7-1999 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्यों को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है :—

(1) श्री रमाशंकर कौशिक, संसद सदस्य (राज्य सभा)

(2) श्री राम रघुनाथ चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा)

(3) श्री रामनरेश त्रिपाठी, संसद सदस्य (लोक सभा)

(4) श्री एम० अजय कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा)

(2) कार्य

इस समिति का कार्य भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का सरकारी काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तैयार की गई नीतियों और जारी निदेशों के कार्यान्वयन में सलाह देना होगा ।

(3) समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्यत: 3 वर्ष का होगा । समिति के कार्यकाल की अवधि में यदि किसी व्यक्ति को इस समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा । विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकेगा ।

(4) यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22-1-1987 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11/20034/4/86-रा०भा० (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्राभत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, निदेशक लेखापरीक्षा और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सदानन्द भावे
संयुक्त सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 2001

संकल्प

सं० 156(19)/2000-नीति-1—जबकि भारत सरकार ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के दिनांक 16 नवम्बर, 2000 के संकल्प सं० 156(19)/2000-नीति-1 द्वारा निर्णय लिया था कि देश के लिए दीर्घ कालिक अनाज नीति तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए।

और जबकि उच्च स्तरीय समिति को अपनी रिपोर्ट तीन मास के भीतर पूरी करनी थी।

अतः अब उक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा किए गए अनुरोध के सम्बन्ध में, भारत सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का कार्यालय मई, 2001 के अंत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आदेश

आदेश है कि संकल्प की प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए:— भारतीय खाद्य निगम, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/प्रशासनों की सरकार, और अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्य यह भी आदेश है कि इसे आम सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी०के० देववर्मा
निदेशक (नीति)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 मार्च 2001

सं० 8-149/2000-पी०पी०I.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की दिनांक 26 नवम्बर, 1993 की अधिसूचना सं० 8-97/91-पी० पी०-I में आंशिक संशोधन करते हुए सामान्य सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है कि गुजरात राज्य के कृषि निदेशक का कार्यालय अहमदाबाद से गांधीनगर, नवनिर्मित भवन, कृषि भवन, सैक्टर-10, गांधीनगर स्थानांतरित कर दिया गया है।

पदनाम तथा परिवर्तित मुख्यालय निम्नवत् है :—

उपनिदेशक, कृषि (कृमिनाशी)
कृषि विभाग, गुजरात सरकार
कृषि भवन, सैक्टर-10-ए, गांधीनगर
[फाइल सं० 'एस' (गुज०) 1]।

पी० डी० सुधाकर,
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2000

संकल्प

सं० ईआरबी-1/2000/23/33—रेल दावा अधिकरण की कार्यप्रणाली तथा रेल दावा अधिकरण पर बहन किए गए खर्च के संबंध में व्यक्त की गई चिन्ता को देखते हुए रेल मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय रेल दावा अधिकरण समीक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो इसकी कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाने तथा खर्च में किफायत करने की सिफारिश करेगी। समिति का गठन निम्नलिखितानुसार होगा :—

1. जस्टिस सुशांत चटर्जी, अध्यक्ष
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय
2. एस० के० खन्ना, सदस्य
सेवानिवृत्त कार्यकारी अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण
3. एन० एन० वासुदेव, सदस्य
सेवानिवृत्त उपाध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण
4. आर० एन० सोनी, सदस्य
सेवानिवृत्त सदस्य (तकनीकी),
रेल दावा अधिकरण।

2. सुश्री पदमाक्षी रट्टेजा, कार्यपालक निदेशक, जन शिकायत, रेलवे बोर्ड भी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगी और वाणिज्यिक निदेशालय केन्द्रक (नाडल) निदेशालय होगा।

3 समिति के कार्य की शर्तें निम्नानुसार होंगी :

(क) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा रेल अधिनियम की समीक्षा करना तथा रेल दावा अधिकरण की निर्बाध कार्यप्रणाली के लिए विगत के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए रेल दावा अधिकरण अधिनियम तथा रेल अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव देना।

(ख) दुर्घटना दावों के निपटान के लिए रेल दावा अधिकरण अधिनियम में विशेष रूप से यात्री बीमा योजना प्रावधान की समीक्षा करना तथा रेल दुर्घटना के पीड़ितों के दावों के शीघ्र निपटान के लिए यात्री बीमा योजना में आशोधनों के सुझाव देना ।

(ग) रेल दावा अधिकरण की विभिन्न पीठों के कार्यभार की समीक्षा करना, यदि अपेक्षित हो तो पीठों के सम्मेलन के सुझाव देना, रेल दावा अधिकरण की जनशक्ति तथा अन्य खर्चों में कमी करना ।

(घ) समिति रेलवे दावों, विशेष रूप से दुर्घटना दावों, के निपटान के लिए वैकल्पिक मॉडलों की भी जांच करेगी तथा रेलों पर दावों के शीघ्र निपटान के लिए वैकल्पिक क्षतिपूर्ति क्रियाविधि का सुझाव देगी ।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

5. समिति को इसके गठन की तारीख से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।

ए० सी० बक्शी,
संयुक्त सचिव (राज०) रेलवे बोर्ड

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ए० डी० रामचन्द्रन,
उप सचिव (स्था०), रेलवे बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 7 फरवरी 2001

संकल्प

सं० 9520 फाइल संख्या 16/4/98-पी० एण्ड आर०-अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि की समाप्ति पर, संकल्प सं० 16/4/91-पी० एण्ड आर० दिनांक 27-12-1991 और 12-03-1992 के अनुसार गठित और संकल्प संख्या 16/4/94-पी० एण्ड आर० दिनांक 27-04-95, 16/4/97-पी० एण्ड आर० दिनांक 27-11-97 और 16/4/98-पी० एण्ड आर० 02-12-98, 19-09-2000 और 3-10-2000 को पुनर्गठित, भारत सरकार ने उक्त बोर्ड को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है ।

1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यालय सदस्य और संस्थागत सदस्य बोर्ड के स्थाई सदस्य होंगे । तथापि, परिवर्तनीय अधिकृत सदस्य और गैर सरकारी सदस्यों का अवधि भारत के राजपत्र में संकल्प के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की होगी ।

2. बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

अध्यक्ष

वस्त्र मंत्री
भारत सरकार
उद्योग भवन
नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

वस्त्र राज्य मंत्री
भारत सरकार
उद्योग भवन
नई दिल्ली

स्थाई अधिकृत सदस्य

1. सचिव (वस्त्र)
वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
उद्योग भवन
नई दिल्ली

2. सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार, कृषि भवन
नई दिल्ली

3. सचिव
लघु स्तरीय एवं कृषि ग्रामीण उद्योग विभाग
भारत सरकार
निर्माण भवन,
नई दिल्ली

4. अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
उद्योग भवन,
नई दिल्ली

5. सलाहकार (डी०एस०आई०)
योजना आयोग
भारत सरकार
योजना भवन,
नई दिल्ली

6. प्रबन्ध निदेशक,
टिफेड

7 सचिव,
हस्तशिल्प प्रभार
उत्तर प्रदेश सरकार

8. सचिव,
हस्तशिल्प प्रभार
पश्चिमी बंगाल सरकार

9. सचिव,
हस्तशिल्प प्रभारी
राजस्थान सरकार

10. वरिष्ठ निदेशक
राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय
नई दिल्ली

परिवर्तनीय अधिकृत सदस्य

1. सचिव,
हस्तशिल्प प्रभारी
असम सरकार

2. सचिव
हस्तशिल्प प्रभारी
अरूणाचल प्रदेश सरकार

3. सचिव
हस्तशिल्प प्रभारी
आंध्र प्रदेश सरकार

4. सचिव
हस्तशिल्प प्रभारी
बिहार सरकार

5. सचिव
हस्तशिल्प प्रभारी
अण्डमान निकोबार सरकार

संस्थागत सदस्य

1. कार्यकारी, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद।
2. कार्यकारी निदेशक, निफ्ट, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, खादी एवं ग्रामीण आयोग, मुम्बई।
4. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक।
5. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।
6. अध्यक्ष, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद और निदेशक, भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान।

गैर-कार्यालयी सदस्य

1. सुश्री भावनाबेन बालकिशन सेठ, 8/ए, श्रमिक पार्क, अकोटा स्टेडियम के साथ, बडोदा-95।
2. सुश्री स्नेहलता बेन फकीरभाई चौहान, 1, अशीष सोसायटी, नवयुग कालेज के पीछे, रेंडर रोड, सूरत, गुजरात।
3. श्री राकेश आर्य, 17डी/306, वसुंधरा, गाजियाबाद–201010।
4. श्री डी० पी० अनय सं०-120/2, 15वां चौहराह गंगम्मा ले आऊट, बी० एस० के०, फर्स्ट स्टेज बेंगलोर।
5. श्री स्वरूप करण सिंह, बी–58/7 डी, मोलरबंद विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली।
6. मायाबेन भरतभाई पटेल, गोरेगांव, मुम्बई, महाराष्ट्र।
7. श्री लेखराज महेश्वरी, बी–28, बसंत बहार कालोनी, गोपाल पुरा रोड, टोंक, जयपुर।
8. श्री रामप्रकाश अग्रवाल (दरीवाले) जनकपुरी के पीछे प्रभात नगर, लाईन पार, प्रेम नगर, बरेली।
9. श्री प्रताप ठाकुर, जे० जे० हथकरघा एवं हस्तशिल्प, विवर कोओप्रेटिव सोसायटी ए०टी० एवं डाकखाना समसई, जिला कुल्लू।
10. डा० किरन कुमारी झा० मिथिला परिसर, कीर्तन भवन रोड, मधुबनी, बिहार।
11. श्री इतखाब आलम, कोर्ट बगी, मधुबनी, पूरनिया (बिहार)
12. श्री जयदीप शर्मा घर नं० 51, गान्धी नगर, जम्मू।
13. श्री गांधी चम्पकलाल, चिनिलाल, 9/695, सिद्धमाता शेरी, वडी फलियाँ, सूरत, गुजरात।
14. सुश्री अनीता राजन, सी०आई०/20, पंडारा पार्क नई दिल्ली–3
15. श्री संदेश कुमार जैन, 148 जयपुर हाऊस कालोनी, आगरा, उ० प्र०।
16. श्री रमन जरीवाला सूरत।

सदस्य-सचिव
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

4. बोर्ड सरकार को हस्तशिल्प क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक और कलात्मक परिपेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण विकास कार्यक्रमों के प्रतिपादन, में परामर्श देगा।

विशेष रूप से, बोर्ड की निम्नलिखित भूमिका होगी :–

1. हस्तशिल्प क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास कार्यक्रमों के प्रतिपादन में सरकार को परामर्श देना।
2. शिल्पियों के लिए उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करने हेतु योजनाओं के प्रतिपादन में सरकार को परामर्श देना।
3. शिल्प विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन।
4. देश विदेश में हस्तशिल्प के विपणन विस्तार हेतु योजनाओं को बनाने में सरकार को परामर्श देना।
5. क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों के विकासात्मक प्रयासों के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए कदम उठाना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को प्रेषित की जाए और भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

टीनू जोशी
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

LOK SABHA SECRETARIAT

(COMMITTEE ON ENERGY BRANCH)

New Delhi the 5th March 2001

No 6 1/1, Energy/2001—The nomination of Kumari Bhavana Pundlikrao Gawli has been changed from Standing Committee on Commerce to the Standing Committee on Energy with effect from 2nd March, 2001

P K BHANDARI
Dy. Secy

New Delhi 110001, the 7th March 2001

No. 4/1/3/COD/2001—Dr Alladi P Rajkumar, M P, Rajya Sabha has been nominated to the Member of the Departmentally Related Standing Committee on Defence (2001) with effect from 5th March, 2001

KRISHAN LAL
Director

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 6th February 2001

No. A-42011/28/2000-Admn II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of section 209 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri R. N. Saxena, Deputy Director (Technical) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

D. P. SAINI
Under Secy

The 12th December 2000

No. A-42011/28/2000-Admn II—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of section 209 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri T Pandian, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

D. P. SAINI
Under Secy

No. A-42011/28/2000-Admn II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of section 209 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri M R. Bhat, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

D. P. SAINI
Under Secy

No A-42011 28/2000-AD.II—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Sub-Section (1) of section 209 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri R I Saraswat, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209 A

D P. SAINI
Under Secy

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 13th March 2001

RESOLUTION

No. F.5(1)-PD/2001—It is announced for general information that during the year 2001-2002, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 9.5% (nine point five per cent) per cent per annum This rate will be in force during the financial year beginning on 1-4-2001 The funds concerned are —

1. The General Provident Fund (Central Service)
2. The Contributory Provident Fund (India)
3. The All India Services Provident Fund
4. The State Railway Provident Fund
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund
9. The Defence Services Officers' Provident Fund
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India

ALOK CHATURVEDI
Director (Budget)

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 7th March 2001

RESOLUTION

No E 11015(10)/99-Hindi.—Ministry of Steel, Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Steel The Composition, functions etc. of the reconstituted Samiti will be as given hereunder :

I. Composition

1. Minister of Steel.

Chairman

Non-Official Members

Members

2. Shri Tilak Dhari Prasad Singh,
Member of Parliament (Lok Sabha),
12A, Feroz Shah Road, New Delhi.

3. Mrs Krishna Bose,
Member of Parliament (Lok Sabha),
D-I, MS Flats, Baba Kharag Singh Marg,
New Delhi-110001

4. Janeshwar Misra
Member of Parliament (Rajya Sabha)

5. Sohan Potai
Member of Parliament (Lok Sabha)

6. Padmanava Behera,
Member of Parliament (Lok Sabha)

7. A member of th Parliament (Rajya Sabha) to be nominated by the Ministry of Parliamentry Affairs

8. Shri Gopal Krishan Pharaliya
(Representative of the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad)

9. Representative of the Rashtra Bhasha Parachar Samiti, Wardha.

10. Pandit Parbodh Kumar Mishra.

11. Awadesh Parasad Singh,
Damodarpur (North Tola),
P.O. & P.S.–Sarai,
Dist.–Vaisali (Bihar) 844125.

12. Prof. Nagender Rout,
Village At P.O.–Sursand, District Sitamarhi,
Bihar.

13. Dr. P. Prema Leela,
F-2, Sea Shells Apartments,
Near Governor's Bungalow, Siripuram,
Visakhapatnam-530002 (A.P).

14. Dr. Sayyad Rahamtulla,
1, J. J. Khan Street,
Royapetta, Chennai-600014.

15. Sh. Sharvan Kumar Goswami,
"Ashraya" Nai Nagda Toli,
4th Gali, Ranchi,
Jharkhand-834001.

16. Dr. S. M. Ramachanderaswami,
"Sharda Vihar",
89 02, East Anjneya Temple Street,
Basvangudi, Bangalore-560004.

Official Members

Members

17. Secretary (Steel),
Ministry of Steel.

18. Additional Secretary & F.A.,
Ministry of Steel.

19. Secretary,
Department of Official Language.

20. Another Representative of the
Department of Official Language.

21. Development Commissioner for Iron & Steel,
Calcutta.

22. Chairman,
Steel Authority of India Limited, New Delhi.

23. Chairman-cum-Managing Director,
National Mineral Development Corpn. Ltd.
Hyderabad.

24. Chairman-cum-Managing Director,
MECON Limited, Ranchi.

25. Chairman-cum-Managing Director,
Bharat Refractories Ltd.,
Bokaro Steel City, Bihar.

26. Chairman-cum-Managing Director,
Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur.

27. Chairman-cum-Managing Director,
Kudremukh Iron Ore Company Ltd.
Bangalore.

28. Chairman-cum-Managing Director,
Rashtriya Ispat Nigam Ltd.,
(Visakhapatnam Steel Plant),
Visakhapatnam.

29. Chairman-cum-Managing Director,
MSTC Ltd., Calcutta.

30. Chairman-cum-Managing Director,
Hindustan Steel Construction Works Ltd.
Calcutta.

31. Chairman-cum-Managing Director,
Sponge Iron India Ltd., Hyderabad.

32. Managing Director,
Ferro Scrap Nigam Ltd. Bhilai

33. Joint Secretary,
(Incharge of Official Language)
Ministry of Steel.

Member-Secretary

II. Functions

The functions of the Samiti will be to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Language Act and Rules, and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to official language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry.

III. Tenure

1. The tenure of the Samiti will be ordinarily for 3 years from the date of its constitution.

2. If a person is nominated as Member in the middle of the term, he will hold the office for the residual term of the Samiti.

3. In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry.

4. Member of Parliament who are the members of Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Member of Parliament.

5. Ex-officio member of the samiti shall continue as member as long as they hold office by virtue of which they are member of the samiti.

IV. Travelling and other allowances

Non-official Members will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings of the Samiti as per guidelines issued by the Department of Official Language vide their O.M. No. II-20034/4/86-O.L.(A-2) dated the 22nd January, 1987 and as per rates revised and rules prescribed by the Government of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

D. V. SINGH
Jt. Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(DEPTT. OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 27th February 2001

RESOLUTION

No. E-11014/6/98-Hindi.—In continuation of this Deptt's Resolution of even number dated 01-07-1999, the following Non-official members are hereby nominated as a member of the Joint Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises :—

(1) Shri Rama Shankar Kaushik, M.P. (Rajya Sabha)

(2) Shri Ram Raghunath Chaudhary, M.P. (Lok Sabha).

(3) Shri Ram Naresh Tripathi, M.P. (Lok Sabha).

(4) Shri S. Ajaya Kumar, M.P. (Lok Sabha).

2. Functions

The functions of the Samiti will be to render advice to the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises with regard to the progressive use of Hindi in Official work and implementation of the provisions of the Official Language Policy laid down and instructions issued by the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language.

3. Tenure of the Samiti

Normally the tenure of the Samiti will be three years. If a person is nominated in the middle of the term, he/she will hold the office for the residual term of the Samiti. In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

4. T. A. and other Allowances

The non official members will be paid T.A./D.A. for attending meetings of the Samiti in accordance with the guidelines contained in Office Memorandum No. 11/20034/4/86-O.L. (A-2) dated 22-1-1987 and as per the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, U.T. Administrations, P.M. Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Presidents Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Director Audit and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. V. BHAVE
Jt. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPTT. OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 2nd March 2001

RESOLUTION

No. 156(19)2000-PY.I.—Whereas the Government of India decided vide Resilution No. 156(19)/2000-PY.I dated 16th November, 2000 of Department of Food & Public Distribution, to constitute with effect from 16th November, 2000 a High Level Committee (HLC) for formulating a long term Grain Policy for the country.

And whereas the High Level Committee had to complete its report within a period of three months.

Now, therefore, with regard to a request made by the Chairman of the said Committee, the Government of India have decided to extend the term of the HLC till the end of May, 2001.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to :—

The Food Corporation of India, Government of All States/Union Territories/Administration and all the Members of the Committee including its Chairman.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

B. K. DEVVARMA
Director (Policy)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION)

New Delhi, the 8th March 2001

No. 8-149/2000-PPI.—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation Notifcaton No. 8-97/91-PP.I dated 26th November, 1993 it is notified for general information that the office of the Director of Agriculture, Gujarat State is shifted from Ahmedabad to Gandhinagar in newly constructed building of Krishi Bhawan, Section-10, Gandhinagar.

The designation and changed headquarter will be as under :—

"Deputy Director of Agriculture (Pesticide)
Department of Agriculture, Government of Gujarat
Krishi Bhawan,
Sector-10—A,
Gandhinagar",
[Code No. 'S' (GUJ) 1].

P. D. SUDHAKAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13th November 2000

RESOLUTION

No. ERB-I/2000/23/33.—In view of concern expressed regarding the functioning of Railway Claims Tribunal and mounting expenditure incurred on Railway Claims Tribunal, Ministry of Railways have decided to set up a high powered Railway Claims Tribunal Review Committee to recommend measures for streamlining its functioning and to effect economy in expenditure. The constituion of the Committee will be as follows

Chairman

1. Justice Shri Susanta Chatterjee,
Retd. Chief Justice of Orissa High Court

Members

2. Shri S. K. Khanna,
Retd. Acting Chairman, RCT

3. Shri N. N. Vasudev,
Retd Vice-Chairman, RCT

4. Shri R. N. Soni,
Retd. Member (Technical), RCT.

2. Ms. Padmakshi Raheja, Executive Director, Public Grievances, Railway Board, will also function as Secretary of the Committee and Commercial Directorate will be the nodal Directrate.

3. The terms of reference of the Committee will be as under :

(a) To review Railway Claims Tribunal Act, rules framed thereunder and the Railway Act, and suggest amendments in the RCT Act and the Railway Act in the light of past experience for smooth functioning of RCT.

(b) To review specifically the Passenger Insurance Scheme provision in RCT Act for settling of accident claims and suggest modifications in the Passenger Insurance Scheme for quick settlement of claims of Railway Accident victims.

(c) To review workload in various Benches of RCT, suggest amalgamation of Benches, if required, reduction in manpower and reduction in other expenditure in RCT.

(d) The Committee may also look into the alternate models for settling the Railway Claims, particularly Accident Claims, and suggest alternate redressal mechanism for expeditious settlement of claims against Railways.

4. The headquarters of the Committee will at New Delhi

5. The Committee will be required to submit the report within six months from the date of its constitution.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

A. D. RAMACHANDRAN Dy. Secy (E)II,
Railway Board

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 7th February 2001

RESOLUTION

No. 16/4/98-P&R.—On expiry of the term of the All India Handicrafts Board constituted vide resolution No. 16/4/91-P&R dt. 27-12-91 and 12-3-92 and reconstituted vide resolution Nos. 16/4/94-P&R dated 27-04-95, 16/4 97-P&R dated 27-11-97 and 16/4/98-P&R dated 02-12-98, 12-09-2000 and 03-10-2000, the Government of India has decided to reconstitute the said Board again.

1. The Chairman, the Vice-Chairman, the Official Members and the Institutional Members are the permanent Members of the Board. However, the term of Rotational Official Members and the Non Official Members would be two year from the date of publication of the Resolution in the Gazette of India.

2. The Board will consist of the following Members :

CHAIRMAN

Minister of Textiles,
Government of India,
Udyog Bhavan,
New Delhi.

VICE—CHAIRMAN

Minister of State for Textiles
Government of India,
Udyog Bhavan,
New Delhi.

PERMANENT OFFICIAL MEMBERS

1. Secretary (Textiles),
Ministry of Textiles,
Government of India,
Udyog Bhavan,
New Delhi.

2. Secretary,
Department of Rural Development,
Government of India,
Krishi Bhavan,
New Delhi.

3. Secretary,
Department of Small Scale & Agro Rural Industries,
Government of India,
Nirman Bhavan,
New Delhi.

4. Addl. Secretary & Financial Adviser,
Ministry of Textiles,
Government of India,
Udyog Bhavan,
New Delhi.

5. Adviser (VSI),
Planning Commission,
Government of India,
Yojana Bhavan,
New Delhi.

6. Managing Director,
Trifed.

7. Secretary,
Incharge of Handicrafts,
Government of Uttar Pradesh.

8. Secretary,
Incharge of Handicrafts,
Government of West Bengal.

9. Secretary,
Incharge of Handicrafts,
Government of Rajasthan.

10. Senior Director,
National Handicrafts & Handlooms Museum,
New Delhi.

ROTATIONAL OFFICIAL MEMBERS

1. Secretary in charge of Handicrafts,
Government of Assam.

2. Secretary in charge of Handicrafts,
Government of Arunachal Pradesh

3. Secretary in charge of Handicrafts,
Government of Andhra Pradesh.

4. Secretary in charge of Handicrafts,
Government of Bihar.

5. Secretary in charge of Handicrafts,
Government of Andaman & Nicobar.

INSTITUTIONAL MEMBERS

1. Executive Director, National Institute of Design, Ahmedabad.

2. Executive Director, National Institute of Fashion Technology New Delhi.

3. Chairman, Khadi and Village Industries commission, Mumbai.

4. Managing Director, National Bank for Agriculture Rural Development.

5. Managing Director Small Industries Development Bank of India.

6. Chairman Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi.

7. Chairman, Carpet Export Promotion Council and Director, Indian Institute of Carpet Technology.

NON—OFFICIAL MEMBERS

1. Ms. Bhavanaben Balkishan Sheth, 8/A, Shremik Park, Opp. Akota Stadium, Baroda-95

2. Ms. Snehlataben Fakirbhai Chauhan, 1, Ashish Society, Behind Navyug College, Rander Road, Surat, Gujarat.

3. Shri Rakesh Arya, 17D/306, Vasundhra, Ghaziabad-201 010.

4. Shri D. P. Anantha, No. 120/2, 15th Cross Gangamma Layout, BSK 1st Stage, Bangalore-560 050.

5. Shri Swaroop Karan Sinh, b-58/7D, Molar band Extn., Badarpur, New Delhi

6. Mayaben Bharatbhai Patel Goregaon, Mumbai Maharashtra.

7. Shri Lekhraj Maheswari, B-28, Basant Bahar Colony Gopalpura Road, Tonk Road, Jaipur-302 018.

8. Shri Ram Prakash Agrawal (Dariwale), Opp. Jamakpuri, Prabhat Nagar, Line Par, Prem Nagar, Baraili, U.P.

9. Shri- Pratap Thakur, I I Handloom & Handicrafts, Viver's Coop Society, At & Post Samusi, Distt. Kullu.

10. Dr. Kiran Kumari Jha, Singhwara Parishar, Kirtan Bhawan Road, Madhubani-847211, Bihar.

11. Shri Intekhab Alam, Korat Bari, Madhubani, Purnia (Bihar).

12. Shri Jaideep Sharma, H. No. 51, Shastri Nagar, Jammu-180004.

13. Shri Gandhi Champaklal Chhilal, 9/695, Sidhmata Sheri, Wadi Falia, Surat-395003.

14. Ms. Anita Ranjan, CI/20, Pandara Park, New Delhi-3

15. Shri Sandesh Kumar Jain, 148, Jaipur House Colony, Agra, U.P.

16. Shri Raman Jariwala, Surat.

MEMBER SECRETARY

Development Commissioner (Handicrafts)
Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

4. The board will advise the Government in the formulation of the overall development programmes in handicrafts sector, keeping their socio-economic cultural and artistic perspectives in view In particular, the Board will have the following role :—

1. To advise the Government in the formulation of the overall development programmes in the Handicrafts Sector.

2. To advise the Government in formulating 1 strategies to achieve a higher standard of living for crafts-persons.

3. To preserve and promote the craft heritage

4 To advise the Government in evolving strategies for expanding markets for handicrafts in the country and abroad.

5. To take steps for effective coordination of the development efforts of various Government agencies in the sector.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

TINOO JOSHI
Development Commissioner
(Handicrafts)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—2001
Printed by the Manager, Govt of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, DELHI—2001